लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1423
29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम समग्र-2 योजना के अंतर्गत निर्मित रेशमकीट पालन शेड

1423. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेशम समग्र-2 योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक स्वीकृत और निर्मित रेशमकीट पालन शेडों की कुल संख्या कितनी है, तथा लाभार्थी किसानों की संख्या, श्रेणी-वार (सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), स्वीकृत/जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेशमकीट पालन शेडों के निर्माण हेतु वर्तमान लागत मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या बढ़ती निर्माण लागत के मद्देनजर राज्य सरकारों या हितधारकों से संशोधन हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने मौजूदा लागत मानदंडों और सब्सिडी संरचना की पर्याप्तता के संबंध में कोई समीक्षा या विश्लेषण किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार लागत मानदंडों और सब्सिडी स्तरों को संशोधित करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो इन्हें कब तक लागू किया जाएगा?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

क): रेशमकीट पालन शेडों की स्वीकृत कुल संख्या 36,404 है, जिनमें से सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक 28,570 शेडों का निर्माण किया जा चुका है। सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत पालन गृहों के निर्माण हेतु प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (ङ): सिल्क समग्र-2 योजना के निर्माण के समय सब्सिडी प्रयोजनों के लिए लागत मानदंड निर्धारित किए गए थे। राज्य सरकारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के परामर्श से वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

अनुबंध

सिल्क समग्र-2 के तहत निर्मित रेशमकीट पालन शेडों के संबंध में श्री जी लक्ष्मी नारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1423 के भाग 'क' के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/परिषद	सिल्क समर्ग-2 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पालन गृह निर्माण हेतु सहायता (इकाई: धनराशि – लाख रुपए में और लाभार्थियों की संख्या)									
		सामान्य					एससी/एसटी				
		जारी किया गया		उपयोग किया गया			जारी किया गया		उपयोग किया गया		
		लाभार्थी	निधि (केंद्र का हिस्सा)	लाभार्थी	निधि (केंद्र का हिस्सा)	कुल संख्या में से महिला लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थी	निधि (केंद्र का हिस्सा)	लाभार्थी	निधि (केंद्र का हिस्सा)	कुल संख्या में से महिला लाभार्थियों की संख्या
1	कर्नाटक	6953	12821.9	6327	11753.2	326	1125	2807.19	654	1754.03	79
2	आंध्र प्रदेश	970	1857.5	821	1857.5	215	110	270.57	100	243.76	25
3	तेलंगाना	400	900	246	346.5	30	300	877.5	173	506.025	26
4	तमिलनाडु	4340	8471.25	2758	5404.25	444	230	520.02	180	414.39	31
5	महाराष्ट्र	723	1109.13	354	506.13	65	75	151.524	41	78.074	10
6	उत्तर प्रदेश	4380	4345.5	4080	4110.78	925	520	677.625	520	677.625	261
7	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	75	146.25	0	0	0
8	छत्तीसगढ़	777	2000.2	396	842.035	0	405	1042	349	853.25	0
9	पश्चिम बंगाल	663	488.1	662	487.35	133	289	216.75	289	216.75	39
10	बिहार	900	450	300	150	120	1584	1029.6	784	509.6	350
11	जम्मू एवं कश्मीर	718	1193.36	686	1016.74	107	282	419.28	280	405.24	50
12	हिमाचल प्रदेश	600	888	0	0	0	0	0	0	0	0
13	उत्तराखंड	500	552	274	195.52	266	375	300	375	300	194
14	हरियाणा	50	31.4091	50	31.4091	12	100	113.75	57	38.3037	23
15	पंजाब	356	415	250	253	109	360	316.7	330	271.7	95
16	असम	62	55.8	62	55.8	58	362	325.8	362	325.8	362
17	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)	64	57.6	64	57.6	54	1606	1445.4	1606	1445.4	1251
18	कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी	240	216	0	0	0	0	0	0	0	0
19	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1250	1158.73	1250	1158.73	535
20	मणिपुर	136	201.24	12	7.99	12	364	580.86	45	29.96	45
21	मेघालय	0	0	0	0	0	1210	1164.6	950	930.6	1006
22	मिजोरम	0	0	0	0	0	946	1156.5	912	1076.04	300
23	नागालैंड	0	0	0	0	0	1320	1148	1290	1121	807
24	सिक्किम	178	264.24	175	260.01	63	22	30.51	22	30.51	2
25	त्रिपुरा	252	249.175	252	249.175	235	232	245.285	232	245.285	206
	कुल	**23262**	**36567**	**17769**	**27585**	**3174**	**13142**	**16144**	**10801**	**12632**	**5697**

****